

Abh
02/08/24

पत्रांक-03/Subway-24-01/2025

90

/ न० वि० एवं आ० वि०

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

प्रषक,

सेवा में,

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक 03/01/24

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले भूमिगत सब-वे निर्माण योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत योजना कुल राशि ₹54200.00 लाख (पाँच सौ ब्यालीस करोड़ रु०) में से देनदारी की राशि में से तत्काल ₹1340.00 लाख (तेरह करोड़ चालीस लाख रु०) मात्र की व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

विभागीय संकल्प सं०-1974 दिनांक-02.05.2022 द्वारा बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को भूमिगत रूप से जोड़ने हेतु Subway निर्माण योजना की ₹37300.00 लाख के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि० को कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया है। पुनः विभागीय संकल्प सं०-4053 दिनांक-12.08.2023 द्वारा इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति ₹54200.00 लाख कर दी गयी है।

2. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-536 दिनांक-07.02.2023 द्वारा ₹500.00 लाख, विभागीय राज्यादेश संख्या-335, दिनांक-24.01.2024 द्वारा ₹1500.00 लाख, विभागीय राज्यादेश सं०-434, दिनांक-14.03.2024 द्वारा ₹1500.00 लाख, विभागीय राज्यादेश सं०-103, दिनांक-10.07.2024 द्वारा ₹1500.00 लाख, विभागीय राज्यादेश सं०-150, दिनांक-28.08.2024 द्वारा ₹2500.00 लाख, विभागीय राज्यादेश सं०-155, दिनांक-13.06.2025 द्वारा ₹990.00 लाख, विभागीय राज्यादेश सं०-356, दिनांक-14.10.2025 द्वारा ₹4500.00 लाख, विभागीय राज्यादेश सं०-453, दिनांक-20.01.2026 द्वारा ₹2510.00 लाख एवं राज्यादेश सं०-11, दिनांक-22.04.2026 द्वारा ₹660.00 लाख मात्र अर्थात् अब तक कुल ₹16160.00 लाख मात्र विमुक्त किया जा चुका है। इस प्रकार योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹38040.00 लाख विमुक्त किया जाना अवशेष है। योजना के कार्यकारी एजेंसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि० के पत्रांक-2212, दिनांक-19.03.2026 द्वारा अवशेष राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त वर्णित स्थिति एवं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि० द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को भूमिगत रूप से जोड़ने हेतु Subway निर्माण योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹1340.00 लाख (तेरह करोड़ चालीस लाख रु०) की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है:-

योजना का नाम	मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	(राशि लाख में) अवशेष राशि (3-4-5)
1	2	3	4	5	6
बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को भूमिगत रूप से जोड़ने हेतु Subway निर्माण योजना	37300.00	54200.00	16160.00	1340.00	36700.00

4. स्वीकृत राशि ₹1340.00 लाख (तेरह करोड़ चालीस लाख रु०) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98, पत्रांक-236 दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में की जायेगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) के पी०एल० खाता सं०-PBBPLA015 (HoA 8448 00 120 0035 00 01) में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जायेगा। तत्पश्चात बुडा द्वारा राशि का हस्तांतरण योजना के कार्यान्वयन एजेंसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि० को की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं किया जायेगा।

5. स्वीकृत राशि ₹1340.00 लाख (तेरह करोड़ चालीस लाख रु०) की निकासी मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05-सड़के, लघु शीर्ष-337-सड़क निर्माण कार्य, उप शीर्ष-0101-बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय के बीच भूमिगत मार्ग, विपत्र कोड-48-5054053370101, विषय शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में की जायेगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. स्वीकृत राशि के व्ययोपरांत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि० द्वारा योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग को त्रैमासिक रूप से अवश्य उपलब्ध कराया जाएगा।

8. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-03/Subway-24-01/2025 के पृ० सं०-92/टि० पर दिनांक-28/06/26 को एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृ० सं०-99/टि० पर दिनांक-01/07/26 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

Signature

ज्ञापक:—03/Subway-24-01/2025

90

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक: 03/01/2025

प्रतिलिपि:—वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संयुक्त सचिव—सह—निदेशक, बुडा/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना/उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/परियोजना निदेशक (PD/PM-2), दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि०, साई कॉरपोरेट पार्क, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, बुडा (दो प्रतियों में)/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।